पत्रांक :–3/यो.1–21/2017 (उ0शि0) 901/यु०म०

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रांची।

रांची, दिनांक 02/07/2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत देवघर जिला में महिला महाविद्यालय, सारठ की स्थापना हेतु रू0 11,89,56,400/–(ग्यारह करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार चार सौ) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 2,11,54,000/– (दो करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः–
1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 351/बजट दिनांक 23.10.2019
2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1156/नि0 दिनांक 28.05.24

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि के उदेद्श्य से आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 340.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

4. महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु तत्कालीन विभागीय अभियंत्रण कोषांग के पत्रांक 112 दिनांक 24.08.2015 द्वारा मॉडल डी0 पी0 आर0 का निर्माण कर समर्पित किया गया था। जिसके अनुसार महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/– (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार रूपये) मात्र की राशि प्राक्कलित की गयी थी। उपर्युक्त के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 351/बजट दिनांक 23.10.2019 द्वारा देवघर जिलान्तर्गत सारठ में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/– (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1310/नि0 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Jharkhand Schedule of Rate (JSOR 2018, DSR2018) में वृद्धि के कारण उक्त डी0 पी0 आर0 की अनुमानित राशि जिसपर निगम द्वारा Estimate No.415/T.S/H.E/ JSBCCL/2020-21 के माध्यम से रू0 11,89,56,400/–(ग्यारह करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार चार सौ) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 84/बजट दिनांक 10.02.2021 द्वारा प्रदान किया गया था।

6. वित्तीय वर्ष 2024–25 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत देवघर जिला में महिला महाविद्यालय, सारठ की स्थापना हेतु रू0 11,89,56,400/–(ग्यारह करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार चार सौ) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 2,11,54,000/– (दो करोड़ ग्यारह लाख चौवन हजार रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है–

Sl.No.	Item	Amount in Rs.
1	Administrative Approval Value	11,89,56,400.00
2	Agreement Value	8,87,56,133.00
3	Excess/Saving in the agreemented/claimed quantity	1,34,63,301.00
4	Price Adjustment Paid as per clause 47 of SBD	76,91,312.00
5	Amount of Operational Grant of JSBCCL	62,12,929.00
6	Total Cost of Project (2+3+4+5)	11,61,23,675.00
7	Allotment Received till date	9,49,69,000.00
8	Balance Allotment required(7-8)	2,11,54,675.00

Say Rs. 2,11,54,000=00

7. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024–25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01–उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

9. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
351/बजट दिनांक 23.10.2019, 84/बजट दिनांक 10.02.2021, 511/बजट दिनांक 25.03.2022 एवं 352/बजट दिनांक 01.03.2024	9,49,69,000/–	8,28,42,636/–

10. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

12. सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. स्वीकृत्यादेश संख्या 351/बजट दिनांक 23.10.2019 में अंकित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो.1–21 / 2017 (उ0शि0) 90/1848 / राँची, दिनांक– 02/07/2024

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो.1–21 / 2017 (उ0शि0) 90/1848 / राँची, दिनांक– 02/07/2024

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक,झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुलसचिव, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।